निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।

क्र0सं0	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दिए जाने वाले अनुतोष/लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है	स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी
1.	**निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों के मुआवजा भुगतान से संबंधित मामले**	लोक सभा/ विधान सभा आम/उप चुनाव के क्रियान्वयन हेतु वाहन मालिकों से उनके वाहन निर्वाचन कार्य यथा– आवागमन आदि हेतु लिये जाते हैं । निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विपत्र का जाँचोपरान्त नियमानुसार देय राशि का भुगतान किया जाता है।	संबंधित वाहन मालिक।	जिला परिवहन पदाधिकारी
2.	**निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के निर्वाचन कर्त्तव्य पर मृत्यु/घायल होने पर प्रावधानों के अंतर्गत अनुमान्य अनुग्रह अनुदान से संबंधित मामले**	राज्य सरकार द्वारा लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सरकारी/गैर–सरकारी कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य के कारण हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान निम्नवत हैं– (क) **घायल होने की स्थिति में**– स्थायी विकलांगता यथा– अंग भंग, अंधापन आदि होने पर **7.5 लाख रूपये** देय होगा, परन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान स्वरूप दोगुनी राशि अर्थात **15 लाख रूपये** देय होगा। (ख) **मृत्यु होने की स्थिति में**– निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के निर्वाचन कर्त्तव्य पर मृत्यु की स्थिति में **15 लाख रूपये** उनके आश्रित को देय होगा तथा उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा– रोड माइन्स, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर **30 लाख रूपये** देय होगा।	घायल होने की स्थिति में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी/कर्मियों को। मृत्यु की स्थिति में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी/कर्मियों के आश्रित को।	उप निर्वाचन पदाधिकारी
3.	**निर्वाचन सामग्री एवं उपलब्ध कराये सेवाओं के विरूद्ध बकाया भुगतान से संबंधित मामले**	लोक सभा/ विधान सभा आम/उप चुनाव के क्रियान्वयन हेतु होटल, टेन्ट, रेस्टहाउस तथा मजदूर आदि से सेवाएँ ली जाती है तथा निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विपत्र का जाँचोपरान्त नियमानुसार देय राशि का भुगतान किया जाता है।	संबंधित सेवा प्रदाताओं को।	उप निर्वाचन पदाधिकारी